न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/26/2022	18-05-2022	29-06-2022

01- धर्मपाल पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासी ग्राम भुनगडा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

-: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

-: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 25.04.2022 अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 111/2021

उपस्थित

01-श्री जर्नादन शर्मा -वकील अपीलाण्ट
02-श्री दीपक मीना - राजकीय अभिभाषक
01-श्री विनोद कुमार यादव -वकील प्रार्थिया आदेश 01 रूल 10 सीपीसी

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 25.04.2022 प्रकरण संख्या 111/2021 जिसके द्वारा सम्वत 2078 में अपीलान्ट को ग्राम भुनगडा अहीर तहसील मुण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 399 रकबा 0.56 है0 में से 50 गुणा 05 वर्ग फुट किस्म गैर मुमकिन रास्ता में पत्थर डालकर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली/पैनल्टी कायम किये जाने व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का भुनगडा अहीर ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत इस आशय की पेश की है, कि धर्मपाल पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासी भुनगडा अहीर ने संम्वत 2078 फसल खरीफ में आराजी खसरा न0 399 रकबा 0.56 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में से 50 गुणा 05 वर्गफुट भूमि पर पत्थर डालकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिस पर प्रकरण संख्या 111/2021 अर्न्तगत धारा 91 एल.आर.एक्ट. 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया जारी नोटिस का जवाब अतिक्रमी द्वारा जर्ये वकील उपस्थित होकर पेश कर वास्ते साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जाने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु उक्त प्रकरण का आलोच्य निर्णय दिनाक 25.04.2022 से निस्तारण किया जाकर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल किये जाने व अर्थदण्ड से दण्डित कर अहकाम जारी के आदेश विधि विरूद्ध व बेजा तरीके से पारित किये गये है, विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नही है, आराजी खसरा न0 399 रकबा 0.56 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता के साबिक खसरा न0 321 रकबा 0.56 है0 यह रास्ता आराजी खसरा न0 399 ग्राम भुनगडा अहीर की आबादी क्षेत्र की सीमा प्रारम्भ होने से पूर्व ही रास्ता समाप्त हो जाता है, अर्थात आराजी खसरा न0 399 किस्म गैर मुमकिन रास्ता सिर्फ ग्राम की आबादी क्षेत्र तक ही है, आबादी क्षेत्र में अलग से रास्ता कायम किया हुआ है, जो मौके पर चालू है, और मिन अपीलान्ट का गुवाडा आबादी क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार अपीलान्ट ने आबादी क्षेत्र के रास्ता की भूमि में कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। मौके पर अपीलान्ट के सामने आबादी का सबसे चौडा रास्ता कायम है,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आबादी क्षेत्र कानूनन ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती है। इस प्रकार उक्त नोटिस क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दिया गया है, तथा सिविल न्यायालय की कार्यवाही के दौरान नोटिस जारी नही किया जा सकता है, जो कार्यवाही न्यायालय की अवमानना की क्षेणी में आती है, मिन अपीलान्ट के गुवाडे प्लॉट के संबंध में माननीय सिविल न्यायाधीश मुण्डावर में मुकदमा धर्मपाल बनाम तहसीलदार विचाराधीन है, जिसमें तहसीलदार पक्षकार है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी अंकित है, कि उक्त प्लॉट धनी आबादी क्षेत्र में होने के कारण जरीब चलाया जाना सम्भव नही है, अर्थात प्लॉट व उसके सामने रास्ता आबादी क्षेत्र है, जिस कारण इसका क्षेत्राधिकार तहत अदालत को नही है, अपीलान्ट के धर के बिल्कुल सामने उक्त प्लॉट गुवाडा स्थित है, जो अपीलान्ट के रिहायशी मकान बीच में रास्ता तथा रास्ता के बाद मिन अपीलान्ट का प्लॉट स्थित है, जो करीब 50–60 सालो से आबादी का उपयोग उपभोग में ले रहे है। अपीलान्ट ने किसी भी गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में कोई अतिक्रमण नही किया गया है, ग्राम पंचायत द्वारा भी इस गुवाडे का उपयोग उपभोग मिन अपीलान्ट धर्मपाल के पिता व स्वयं अपीलान्ट धर्मपाल द्वारा किया जाना अंकित किया है तथा ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर द्वारा उक्त गुवाडे को आबादी क्षेत्र में माना है और आबादी क्षेत्र के संबंध में कोई भी वाद शिकायत सुनने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत व सिविल न्यायालय को है। इस कारण तहत अदालत द्वारा जारी नोटिस धारा 91 एल.आर.एक्ट क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.04.2022 को निरस्त किया जावे।

प्रार्थीया श्रीमती कमलेश पत्नी फूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम भुनगडा अहीर तहसील मुण्डावर ने एक प्रार्थना पत्र जरिये वकील अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का पेश कर उक्त प्रकरण में हितनिहित होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश कर कथन किया है, कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अपीलान्ट धर्मपाल के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही मिन प्रार्थीया शिकायत के आधार पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस जारी किया है, मिन प्रार्थीया की शिकायत के बाद ही धर्मपाल द्वारा इसी संबंध में एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश मुण्डावर में पेश किया गया, जिसमें मिन प्रार्थीया को बतौर प्रतिवादी संख्या 02 पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, तथा मिन प्रार्थीया के पति फूलचन्द एवं पुत्र अश्वनी कुमार को भी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उक्त दावे में धर्मपाल को स्थगन आदेश प्राप्त नही हुआ है, तथा स्थगन आदेश बाबत प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनाक 25.03.2022 को खारिज किया जा चुका है। इसके उपरान्त धर्मपाल द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गयी है। जिसमें स्थगन आदेश प्रदान किया गया है। प्रस्तुत अपील में प्रार्थीया को पक्षकार नही बनाया गया है। न्यायालय हाजा को पेश की अपील में अपीलान्ट द्वारा तथ्यो को छिपाते हुए पेश की गयी है, धर्मपाल अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा कार्यवाही की गयी है। धर्मपाल अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 399 रकबा 0.56 है0 में से 50 गुणा 05 वर्ग फुट किस्म गैर मुमकिन रास्ता में पत्थर डालकर अतिक्रमण किया गया है, उक्त रास्ते से मिन प्रार्थीया की आमद रफत है, तथा अतिक्रमण की वजह से प्रार्थीया का रास्ता अवरूद्व हो गया है। और भारी परेशानी हो रही है, इस लिए मिन प्रार्थीया को अपील में आवश्यक पक्षकार है, तथा मिन प्रार्थीया के हक हकूक सीधे रूप से प्रभावित हो रहे है। प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का हितनिहित होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु का आदेश दिये जावे। व अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट एवं वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। जहा तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का संबंध है, प्रार्थीया द्वारा शिकायत के आधार पर अपील में पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया है, और कथन किया है, कि अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 399 रकबा 0.56 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्व कर दिया गया है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा पेश दृष्टान्त आर.आर.डी. 1997 पेज 97 की प्रति वास्ते नजीर पेश कि गयी है, माननीय न्यायालय की नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, कि धारा 91 एल.आर.एक्ट का संबंध अतिक्रमी व राजस्थान सरकार से है, प्रकरण में राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा विधिवत पैरवी की जा रही है, प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 न्यायालय में पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि प्रकरण में मैरिट पर भी गुणावगुण पर बहस की जा चुकी है। वकील अपीलान्ट द्वारा वर्णित आराजी की मौके की पैमाईश कराये जाने हेतु पेश किया है, साथ ही निवेदन किया है, कि न्यायालय चाहे तो मौके की पैमाईश करा लेवे। अपीलान्ट का मुख्य कथन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

है, कि उनके द्वारा राजकीय भूमि (गैर मुमकिन रास्ता) पर कोई अतिकमण नही किया गया है, पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि अपीलान्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश मुण्डावर में मुकदमा धर्मपाल वनाम तहसीलदार दायर किया है जो अभी भी विचाराधीन है, उक्त प्रकरण में माननीय सिविल न्यायाधीश मुण्डावर द्वारा दिनाक 25.03.2022 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है, इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में कोई कथन नही किया गया है। माननीय सिविल न्यायाधीश मुण्डावर द्वारा प्रकरण में मौका कमिश्नर की रिपोर्ट तलव की गयी है, मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में भी अपीलान्ट के द्वारा अनाधिकृत अतिकमण स्पष्ट साबित है। अपीलान्ट द्वारा वर्णित आराजी के सबंध में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि वर्णित आराजी उसके स्वामित्व में हो। स्वामित्व के अभाव में किसी भी आराजी की पैमाईश किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के तथ्य को छुपा कर अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.04.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

29.06.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)